न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव,
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 02/2018

1. उमराव पुत्र भंवरा जाति खटीक निवासी ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
2. योगेन्द्र सिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)
2. राजेन्द्र सिंह
3. महेन्द्रसिंह (फौत) पुत्रान् अमरसिंह
   3/1 सुमन पत्नि स्व. महेन्द्र सिंह
   3/2 दौलत पुत्र महेन्द्र सिंह
   3/3 सेवासिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
   3/4 बीना पुत्री महेन्द्र सिंह
   3/5 कोमल पुत्री महेन्द्र सिंह
4. मु0 नानबाई बेवा अमरसिंह
5. मुन्नी कंवर पुत्री अमरसिंह
6. पुष्पा कंवर पुत्री अमरसिंह
7. उषा कंवर पुत्री अमरसिंह
8. सुमन कंवर पुत्री अमरसिंह
9. शुशील कंवर पुत्री अमरसिंह
10. मु0 ताज कंवर बेवा लक्ष्मणसिंह
11. देवेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
12. नरेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
13. योगेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
14. सुमन कंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह
15. उच्छव कंवर बेवा जनक सिंह
16. जितेन्द्र सिंह पुत्र जनक सिंह
17. राजेन्द्र सिंह पुत्र जनक सिंह
18. आशा कंवर पुत्री जनक सिंह
19. विष्णु कंवर पुत्री जनक सिंह
20. चतर सिंह बेवा परिक्षित सिंह
21. सम्पत सिंह पुत्र गुलाब सिंह
22. उच्छव कंवर बेवा शिवसिंह
23. भवंर सिंह पुत्र शिवसिंह
24. गजेन्द्र सिंह पुत्र शिवसिंह
25. जयसिंह पुत्र शिवसिंह
26. हिम्मत सिंह पुत्र शिवसिंह
27. रीना कंवर पुत्री शिवसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 15/01/2018 तहसीलदार कोटपूतली बाबत नामान्तरकरण संख्या 2666 दिनांक 15/01/2018 ग्राम प्रागपुरा द्वारा तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner

निर्णय दिनांक

अपीलान्ट तहसीलदार कोटपूतली से स्वीकार आदेश दिनांक 15/01/2018 बाबत नामान्तरकरण संख्या 2666 वाके ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली से व्यथित होकर उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील पेश की गयी है, जिसके सारगर्भित तथ्य अपीलान्ट द्वारा निम्न भांति पेश किये हैं:-

1. यह है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 723/0.72, 724/0.01, 725/1.02, 726/0.54, 727/0.27, 728/0.58, 729/0.47, 730/0.34, 731/0.01, 732/0.43, 733/1.01, 734/0.92, 735/1.97 वाके ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) में स्थित है। उक्त आराजी में अपीलान्ट संख्या 01 उमराव व उसके परिवारजन का हिस्सा 1/8 है तथा अपीलान्ट संख्या 2 योगेन्द्र ने उक्त आराजीयात् में से आराजी ख.नं. 729/0.58 में से तत्कालीन हिस्सेदार ईदली बेवा शमशेर जमीला बानो धोती बानो सलामा पुत्रीया शमशेर जाति सिक्क निवासी प्रागपुरा से 4/7 दर हिस्सा 1/12 हिस्सा व ख.नं. 735/1.97 में से 4/7 दर हिस्सा 1/12 व खसरा नम्बर 726 लगायत 735 में से तत्कालीन खातेदार रामावतार प्रकाश रोहिताश ओमी पुत्रान् चौथा जाति माली मु0 कौशल्या बेवा चौथा जाति माली निवासी प्रागपुरा से 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र खरीद कर काबिज है।
2. मौके पर बाहमी बटवारा के अनुसार काबिज खातेदारान् में से अपीलान्ट संख्या 1 व उसका परिवार आराजी खसरा नम्बर 727, 728 सम्पूर्ण व ख.नं. 735 में से हिस्सा 1/8 पर काबिज है तथा मौके पर गेहूँ सरसो की फसल काश्त कर रखी है तथा अपीलान्ट संख्या 2 बंटवारा अनुसार 735 में हिस्सा 1/2 पर काबिज है। बोरिंग कमरा व कोटडी योगेन्द्र सिंह ओमकार ने बना रखा है।
3. अपीलान्ट/प्रार्थी ने अपीलाधीन आदेश व नामान्तरकरण करते समय एक प्रार्थना-पत्र 03/01/2018 को इस आशय का पेश किया कि न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के यहां योगेन्द्र बनाम रामेश्वर में स्थगन है। इसी आराजी के सम्बन्ध में एक वाद राजस्व मण्डल अजमेर के यहां विचाराधीन है, जिसमें स्थगन दे रखा है। राजस्व मण्डल उपचार उमराव बनाम पूरण है। अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03/10/88 की इजराय के सम्बन्ध में निर्णय 12/11/2013 की पालना नहीं करें, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की प्रार्थना-पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया जाकर अपने मनमानी तरिके से अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया।
4. अपीलान्ट संख्या 2 योगेन्द्र ने एक प्रार्थना-पत्र 05/01/2018 अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया कि प्रार्थी ने उक्त आराजी जरिये विक्रय-पत्र से खरीदी है तथा मौके पर काबिज है, जिसका नामान्तरकरण खोला जाना आवश्यक है। अतः विक्रय-पत्रों के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश प्रदान करें। प्रार्थी/अपीलान्ट के प्रार्थना-पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं किये बल्कि अपीलाधीन आदेश पारित कर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया।
5. अपीलान्ट/प्रार्थी संख्या 01 ने अपीलाधीन आदेश एवं नामान्तरकरण करते समय एक प्रार्थना-पत्र 15/01/2018 को इस आशय का पेश किया था कि आराजी ख.नं. 723 लगायत 735 वाके मौजा प्रागपुरा के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय सहायक कोटपूतली से इजराय उनवानी महेन्द्र बनाम रामेश्वर वगैरह में डिक्रि पालना में तहरीर जारी हुयी थी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली कायम कर न्यायालय ए.डी.एम कोटपूतली से चार बिन्दुओं पर मार्गदर्शन मांगा था उक्त पत्रावली को तलब करने के आदेश प्रदान करने बाबत निवेदन किया ताकि आपत्ति बहस की जा सके। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो पत्रावली आफिस कानूनगो से तलब की गयी तथा ना ही आपत्ति बहस सुनी गयी। मनमानी ढंग से अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया।
6. उक्त उनवानी प्रकरण में इजराय ब उनवानी महेन्द्र बनाम रामेश्वर वगैरह न्यायालय सहायक सहायक कलक्टर कोटपूतली में विचाराधीन है, जिसमें अपीलान्ट/प्रार्थी आपत्ति भी प्रस्तुत कर रखी है। उक्त इजराय में न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली ने डिक्री के निष्पादन हेतु कोई आदेश तहसीलदार कोटपूतली के नाम नहीं किया है। बिना आदेश के ही अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त इजराय में वर्णित डिक्री की पालना अपनी मनमानी व गैर कानूनी तरिके से की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश व नामान्तरकरण जेर अपील निरस्तनीय है।

Scanned with CamScanner

7. उक्त प्रकरण में वर्णित आराजी में ओमकार खातेदार काश्तकार मौके पर काबिज है। ओमकार के नाम बिजली कनेक्शन सिचांई हेतु लगा रखा है तथा मौके पर बोरिंग कोटडी व मकान बना कर व रिहायश पर कब्जा काश्त है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपने मनमाने ढंग से उक्त अपीलाधीन आदेश व नामान्तरकरण किया है।
8. अधिनस्थ न्यायालय के आदेश व नामान्तरकरण संख्या 15/01/2018 की आड में अपीलान्ट के हिस्से की आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 27 मजाहमत करते है तथा अपीलान्ट की हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है तथा मौके में रिकॉर्ड की स्थिति को तबदील करने पर उतारू है। इसलिए अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश 15/01/2018 तहसीलदार कोटपूतली एवं उस पर आधारित नामान्तरकरण संख्या 2666 दिनांक 15/01/2018 ग्राम प्रागपुरा द्वारा तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान बाबत आ.ख.नं. 723/0.72, 724/0.01, 725/1.02, 726/0.54, 727/0.27, 728/0.58, 729/0.47, 730/0.34, 731/0.01, 732/0.43, 733/1.01, 734/0.92, 735/1.97 वाके ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान को निरस्त करने की कृपा करें।
9. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर प्रकरण में रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समात पायी जाने पर दर्ज रजिस्टर्ड कर रेस्पोडेन्टस की नियमानुसार तलबी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से भी रघुवीर सैनी का वकालतनामा पेश हुआ तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 21 की ओर से श्री हंसराज रावत एडवोकेट उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 3/2, 3/4, 3/5, 5 लगायत 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22 लगायत 27 की तलबी जरिये अखबार साया कराने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आये इसलिए इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी शेष रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है।
10. वकील अपीलान्ट की ओ से श्री अशोक सैनी उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की मृत्यु होने पर वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना–पत्र 022 आर. 4 पेश कर मृत्क के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने हेतु 09/5/2019 को निवेदन किया जो दिनांक 08/8/2019 को स्वीकार किया गया तथा संशोधित टाईटल पेश हुआ ।
11. वकील अपीलान्ट ने प्रकरण में लिखित बहस दिनांक 6.11.19 को पेश की गयी जिसे संलग्न पत्रावली किया गया।
12. उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15/01/2018 को नामान्तरकरण आदेश मनमाना एवं गैर कानूनी रूप से तस्दीक किया गया है, जो देखते ही खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अधिकार गैर कानूनी रूप से सम्पतसिंह के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 29/12/2017 पर नामान्तरकरण आदेश बिना क्षेत्राधिकार पारित किया है, जबकि क्षेत्राधिकार के अभाव में प्रार्थना–पत्र को वापिस लौटाया जाना चाहिए था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने कानून को ताक में रख कर गैर कानूनी रूप से एवं बिना अधिकार बिना क्षेत्राधिकार विधि विरूद्व आदेश 15/01/2018 पारित कर नामान्तरकरण गलत तस्दीक किया है। वकील अपीलान्ट द्वारा माननीय सुप्रिम कोर्ट के निर्णय ए.आई.आर 2013 सुप्रिम कोर्ट 3060 के सिद्वान्त का हवाला दिया तथा यह भी कथन किया कि क्षेत्राधिकार पर बेवर का सिद्वान्त भी लागू नहीं होता है। क्षेत्राधिकार उच्चतर न्यायालय द्वारा भी प्रदत नहीं हो सकता है तथा बिना क्षेत्राधिकार की गयी कार्यवाही शुन्य होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के निर्णय पारित किया है किया गया निर्णय एवं नामान्तरकरण संख्या 2666 दिनांक 15/01/2018 को निरस्त फरमावें। बिना अधिकार व बिना क्षेत्राधिकार गैर कानूनी रूप से किया गया नामान्तरकरण शुन्य है। इसलिए उक्त नामान्तरकरण संख्या 2666 दिनांक 15/01/2018 खारिज फरमाने योग्य है। अपीलान्ट उमराव जाति से खटीक है, जो अनु. जाति का सदस्य है, जिसकी खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण सम्पतसिंह आदि राजपूत श्रवण जाति के व्यक्तियों के नाम दर्ज करने में गैर कानूनी आदेश अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 15/01/2018 को पारित किये है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि श्रवण जाति के व्यक्ति के नाम धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् कानूनन नहीं की जा सकती है। न्यायालय की डिकी से, राजीनामा से, विकय से, दान से किसी भी प्रकार से अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम कानूनन नहीं की जा सकती है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15/01/2018 अपने आप मे विरोधाभाषी आदेश है। नामान्तरकरण का न्यायिक आदेश होता है, उसमें विधि अनुसार पक्षकारों को सुनवायी का अवसर दिया जाता है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्रशासनिक कार्यवाही के रूप में नोटिस के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिया है जो विधि विरूद्व है। इसलिए उक्त नामान्तरकरण आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत

Scanned with CamScanner

है, जो बिना क्षेत्राधिकार के है बिना क्षेत्राधिकार के दिया गया आदेश शुन्य है तथा आदेश पर की गयी समस्त कार्यवाही शुन्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश एव्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट है। इसलिए नामान्तरकरण शून्य है। वकील अपीलान्ट द्वारा उपरोक्तानुसार लिखित बहस पेश कर अपील को स्वीकार करने एवं आदेश दिनांक 15/01/2018 नामान्तरकरण संख्या 2666 को खारिज करने का निवेदन किया है। अपने समर्थन में आर.आर. डी 1983 पेज 159 बालू बनाम बिरदा तथा 1042 2019(3) डी.एन.जे(राज) मनोज कुमार बिशनोई बनाम राजस्थान सरकार न्यायिक दृष्टान्त पेश किये है।

13. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में अभिकथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के यहां एक वाद घोषणा का बउनवान अमरसिंह बनाम चौथा वगैरह विचाराधीन था, दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर उक्त न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री 03/10/88 से वादीगण को खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादीगण को बेदखली के आदेश एवं शास्ति अदा करने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश के विरूद्व प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, लगायत 13 ने राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां अपील पेश की जो उक्त अपील दिनांक 08/10/2013 को अदम हाजरी हदम पैरवी में खारिज हो गयी थी। इस प्रकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के निर्णय व डिक्री 03/10/88 अन्तिम होने पर उक्त आदेश व डिक्री की पालना कराने हेतु इजराय प्रार्थना–पत्र पेश किया जो 12/11/2013 को स्वीकार हुआ तथा तहसीलदार को निर्णय व डिक्री की पालना करने हेतु निर्देशित किया । उक्त आदेश 12/11/2013 के विरूद्व एक निगरानी याचिका 6871/2013 पितराम बनाम महेन्द्र वगैरह मण्डल के समक्ष प्रस्तुत हुयी जो मण्डल के समक्ष विचाराधीन रही। न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली ने पूर्व इजराय आदेश 20/01/2014 को निरस्त कर दिया गया । उक्त आदेश के विरूद्व एक निगरानी 698/2014 महेन्द्र सिंह बनाम श्रीमती सरोज देवी व अन्य 30/01/2014 को मण्डल के समक्ष पेश हुयी, जो मण्डल ने दिनांक 03/6/2014 को ग्रहिता के स्तर पर खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया कि प्रतिवादीगण चाहे तो सक्षम न्यायालय में विधिक प्रावधानों के तहत् अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है, जिस पर दिनांक 20/01/2014 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गयी जो मण्डल के आदेशानुसार प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर के समक्ष स्थान्तरण की गयी जो दिनांक 23/11/2015 को खारिज कर दी गयी, जिससे व्यथित होकर निगरानी 7876/2015 ब उनवान राजेन्द्र सिंह वगैरह बनाम श्रीमती सरोज देवी राजस्व मण्डल के यहां पेश हुयी, जिसमें अपने निर्णय 15/12/2017 राजस्व अपील में अधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय 23/11/2015 एवं सहायक कलक्टर कोटपूतली द्वारा नजरसानी प्रकरणों में पारित निर्णय 20/01/2014 को निरस्त किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा इजराय प्रकरण में पारित निर्णय 12/11/2013 में आंशिक संशोधन करते हुए जिन केतागण के नाम राजस्व अभिलेख मे अंकन हो चुके है, उन खसरा नम्बरों की आराजी को छोडते हुए शेष आराजी बाबत निर्णय एवं डिक्री 03/10/88 की इजराय के सम्बन्ध में पारित निर्णय 12/11/2013 की पालना अमल में लायी जावें। माननीय उच्च न्यायालय में डी.बी स्पेशल अपील रिट नं. 278/2018 ब उनवान योगेन्द्र बनाम राजेन्द्र वगैरह पेश हुयी वह भी दिनांक 13/7/2018 को खारिज हो चुकी है तथा एस.बी रिट पिटीशन अपील 753/2018 योगेन्द्र बनाम राजेन्द्र पेश की गयी जो दिनांक 17/01/2018 को खारिज हो चुकी है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा विधिक कार्यवाही अपनायी जाकर प्रकरण में पटवारी हल्का रिपोर्ट ली जाकर तथा अन्य न्यायालयों में स्थगन बाबत शपथ–पत्र प्राप्त कर उक्त नामान्तरकरण को स्वीकार करने की विधिक कार्यवाही अपनायी जाकर उक्त नामान्तरकरण को दिनांक 15/01/2018 को स्वीकार किया है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को खारिज फरमावें।

14. वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् साक्ष्य व सबूतों तथा वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बहस उभय पक्षों द्वारा की गयी पर मनन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2666 वाके मौजा ग्राम प्रागपुरा का दिनांक 15/01/2018 को स्वीकार किया है । उक्त नामान्तरकरण बाबत वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि सम्पतसिंह के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 29/12/2017 पर नामान्तरकरण आदेश बिना क्षेत्राधिकार पारित किया है। उक्त प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट लेना गैर कानूनी एवं विधि विरूद्व है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय 04/01/2018 को किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने बाबत शपथ–पत्र लेकर आदेश जारी किये है, जो मनमाना आदेश पारित किये है। कानून में पक्षकार को अपना केश साबित करने के लिए

Scanned with CamScanner

साक्ष्य पेश करने का अधिकार होता है। न्यायालय को यह अधिकार नहीं होता है कि विशेष साक्ष्य जैसे शपथ–पत्र पेश करने हेतु किसी को आदेश प्रदान करें। सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करने का अधिकार नहीं था तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 03/10/88 उक्त निर्णय 03/10/88 प्रतिवादी संख्या 2,4,5 से 11 के विरूद्व पारित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के विरूद्व पारित नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 3 अपीलान्ट उमराव का दादा है तथा प्रतिवादी संख्या 01 चौथा पुत्र श्योनाथ माली है, जिसके वारिसान् से अपीलान्ट संख्या 2 ने भूमि कय की है जो प्रतिवादी संख्या एक के फुट स्टेप पर पक्षकार है। अपीलान्ट के विरूद्व कोई डिकी पारित नहीं की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी के आदेश को बिना देखे निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट उमराव जाति से खटीक है जो अनु.जाति का सदस्य है जिसकी खातेदारी की भूमि का नामान्तरकरण सम्पतसिंह वगैरह राजपूत श्रवण जाति के व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दिनांक 15/01/2018 को आदेश पारित किये है ऐसा आदेश शुरू से ही शुन्य है। अनु.जाति के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि श्रवण जाति के व्यक्ति के नाम धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् कानूनन नहीं की जा सकती है। न्यायालय की डिकी से राजीनामा से विकय से दान से किसी भी प्रकार से अनु. जाति के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि श्रवण जाति के व्यक्ति के नाम नहीं की जा सकती है। इसलिए उक्त नामान्तरकरण खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रशासनिक कार्यवाही के रूप में नोटिस के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिया है, जबकि विधि अनुसार पक्षकारों को सुनवायी का अवसर प्रदान कर न्यायिक आदेश से उक्त नामान्तकरण दर्ज करना चाहिए था बल्कि न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत उक्त निर्णय अधिनस्थ न्यायाय द्वारा पारित किया जो अपास्तनीय है। रेस्पोडेन्ट वकील का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के यहां एक वाद उनवान अमरसिंह बनाम चौथा वगैराह बाबत घोषणा बेदखली का विचाराधीन था। दोराने वाद ही प्रतिवादीगण् संख्या 01 व 3 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत होने पर उक्त वाद में वादीगण को खातेदारी घोषत करते हुये प्रतिवादीगण को बेदखल करने का निर्णय एवं डिकी के आदेश पारित हुये है। उक्त आदेश के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां अपील पेश होने पर दिनांक 08/10/2013 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हुयी है। वादीगण् द्वारा निर्णय डिकी की पालना कराने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के यहां इजराय प्रार्थना–पत्र पेश किया, जो दिनांक 12/11/2013 को स्वीकार हुआ। विचारण न्यायालय के आदेश 12/11/2013 के विरूद्व राजस्व मण्डल के यहां एक निगरानी बउनवान पितराम बनाम महेन्द्र सिंह निगरानी याचिका संख्या 6871/2013 पेश की गयी जो विचाराधीन रही । विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20/01/2014 को नजरशानी प्रार्थना–पत्रों को स्वीकार करते हुये इजराय आदेश 12/11/2013 को निरस्त कर दिया गया । उक्त आदेश 20/01/2014 के विरूद्व एक निगरानी संख्या 698/2014 महेन्द्रसिंह बनाम सरोज देवी मण्डल के समक्ष पेश की जो मण्डल के आदेश दिनांक 03/6/2014 के द्वारा ग्राहिता के स्तर पर ही खारिज करते हुये आदेश पारित किया गया कि प्रतिवादीगण यदि चाहे तो सक्षम न्यायालय में विधिक प्रावधानों के तहत् अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है, जिस पर दिनांक 20/01/2014 के विरूद्व अपील भू–प्रबन्धक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष पेश हुयी, जो मण्डल के आदेशों से राजस्व अपील अधिकारी सीकर के यहां स्थानान्तरण की गयी, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 23/11/2015 को खारिज कर दिया । भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर के आदेश दिनांक 23/11/2015 के विरूद्व राजस्व मण्डल के यहां राजेन्द्र सिंह बनाम सरोज देवी वगैरह निगरानी/टी.ए/7876/2015 पेश हुयी, जिसमें उप निगरानी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय 23/11/2015 एवं विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के नजरसानी प्रकरणों में पारित निर्णय 20/01/2014 को निरस्त कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा इजराय प्रकरण में पारित निर्णय 12/11/2013 में आंशिक संशोधन करते हुये इस प्रकार आदेश पारित किया है कि जिन केतागण के नाम राजस्व अभिलेख में अंकन हो चुके है, उन खसरा नम्बरों की आराजी को छोडते हुये शेष आराजी बाबत निर्णय डिकी दिनांक 03/10/88 की इजराय के सम्बन्ध में पारित निर्णय 12/11/2013 की पालना अमल में लायी जावें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा राजेन्द्र सिंह बनाम श्रीमती सरोज वगैरह में पारित आदेश 15/12/2017 की पालना में उक्त नामान्तरकरण 2266 वाके ग्राम प्रागपुरा दिनांक 15/01/2018 को स्वीकार किया है तथा सिविल रिट पिटीशन संख्या 753/2018 बउनवान योगेन्द्र सिंह बनाम राजेन्द्र सिंह दिनांक 17/01/2018 को खारिज हुयी है तथा डी.बी.

Scanned with CamScanner

सिविल स्पेशल अपील रिट संख्या 278/2018 माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 13/7/2018 को खारिज हुयी है। इस प्रकार विभिन्न न्यायालयों में अपीलान्ट को कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हुये है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमावें। चूँकि पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा 03/10/88 को अमरसिंह बनाम चौथा वगैरह में वादीगण को खातेदार घोषित करते हुये प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णय व डिकी पारित हुयी है। उक्त आदेश प्रतिवादी संख्या 2,4,5 से 11 के विरूद्व पारित किया है। रेस्पोडेन्ट सख्या 01 के 03 के विरूद्व निर्णय व डिकी आदेश पारित होना नहीं पाया गया। प्रतिवादी संख्या 3 उमराव का दादा है तथा प्रतिवादी संख्या एक चौथू पुत्र श्योनाथ माली है, जिसके वारिसान् से अपीलान्ट संख्या 2 ने भूमि कय करना वकील अपीलान्ट ने जाहिर किया है। अपीलान्ट उमराव जाति से खटिक है, जो अनु.जाति का सदस्य है, जिसकी खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण श्रवण जाति के नाम दर्ज कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली ने दिनांक 15/1/2018 को आदेश पारित किये है, जो धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् कानूनन नहीं किया जा सकता है। न्यायालय की डिकी से राजीनामा से विक्रय से दान से किसी भी प्रकार से अनु.जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि श्रवण व्यक्ति के नाम कानूनन नहीं की जा सकती । वकील अपीलान्ट ने अपने समर्थ में आर. आर.डी 1983 बालू बनाम बिरदा पेज नं. 159 न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सक्षम न्यायलयों के आदेशों से प्रार्थी सम्पतसिंह वगैरह का प्रार्थना–पत्र प्राप्त कर बिना क्षेत्राधिकार के उक्त नामान्तरकरण स्वीकार किया है तथा बिना कानूनी प्रकिया अपनाये पक्षकारान् से विशेष साक्ष्य जैसे शपथ–पत्र प्राप्त कर विधिक प्रकिया अपनाये बिना प्रशासनिक आदेश पारित किये जो अधिनस्थ न्यायालय के आदेश 15/01/2018 बाबत नामान्तरकरण संख्या 2666 वाके ग्रम प्रागपुरा को अपास्त किया जावें। वकील अपीलान्ट के बहस के कथनों से एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि सक्षम न्यायालय के आदेशों के बिना तथा क्षेत्राधिकार विहिन होने से उक्त नामान्तरकरण 2666 वाके ग्राम प्रागपुरा दिनांक 15/01/2018 तस्दीक किया है, जो अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण आदेश 15/01/2018 बाबत नामान्तरकरण संख्या 2666 वाके ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली को अपास्त किया जाता है। चूँकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के निर्णय दिनांक 03/10/88 में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के विरूद्व निर्णय पारित नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिये जाते है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा पारित निर्णय आदेश 03/10/88 में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के वारिसान् को छोडकर विधिक प्रक्रिया अपनायी जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

16. यह निर्णय आज दिनांक 30.12.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner